

फर्द अहकाम





संतोष

बनाम

अजय कुमार वर्मा

मालय का नाम—उपखण्ड अधिकारी जोबनेर

सं०१३/२०२५

सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	30.05.2025	<p>अधिवक्ता श्री रामावतार सिंह द्वारा वाय बाबत तकारामा एवं रथारी निवेधाज्ञा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्तें हो चुकी है। अतः दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबी जरिए रजि०एडी० नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 27.06.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">                       उपखण्ड अधिकारी                      जोबनेर जयपुर                 </p>	
	27/6/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि 27/8/25 को पेश हो</p> <p style="text-align: center;">                       उपखण्ड अधिकारी                      जोबनेर जयपुर                 </p>	
	27/8/25	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपन पूर्ववर्ती की वास्तुता हेतु अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 8/10/2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">                       उपखण्ड अधिकारी                      जोबनेर जयपुर                 </p>	
	03.10.25	<p>वादी के शीर्ष सुनवाई अधिसूचना के अन्तर्गत 42 अंश की पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण उपस्थित। अधिवक्ता वादी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रकरण में पक्षकारों के मुख्य मध्य राधीनाता हो गया है, इसलिए अपने वाद को उठाते नहीं चलाया जायेगा अतः वाद पत्र 'Not Press' करने की अनुमति प्रदान करके। अधिवक्ता वादी के निवेदन पर पत्रावली 'Not Press'</p>	<p>Not Press</p> <p></p>

फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

केस सं. / 202.....

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>करम की अनुमति प्रदान की जाकर गरी का वाइ'Not press के आधार पर खारिज किया गया। फतावली जैसल शुमार दोकर नंबर 11 का हॉल दाखिल रफ्तार दी।</p> <p><i>02/11</i></p> <p><i>उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</i></p>